

फर्द अहकाम

मूलचन्द

बनाम

अमरचन्द वगै०

मालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० 65 / 2024

no	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.12.2024	<p>अधिवक्ता श्री लोकश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि० एडी० होकर पत्रावली दिनांक 27.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">₹ उपखण्ड अधिकारी</p>	
	27-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। पूर्वरेखा की पालना में पत्रावली दिनांक 31/12/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">₹ उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	31/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। PO. सा. अधिकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/12/25 को पेश हो।</p>	
	15.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी को साज-भावालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार सावाजे लगवायी गयी। कावजूद सावाजे लगवाने के उपरांत भी प्रार्थी ने भावालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-1 नियम-3 ए० री० के तहत सयम हाजरी व सयम पेशगी में खरिज की जाती है। पत्रावली को खल में शुमार होकर नकर से कम होकर दाखिल रहते है।</p> <p style="text-align: right;">₹ उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	